न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 6 / 2023
जी.सी.एम.एस.संख्या : 2023 / 61

प्रार्थी :-

सरकार जरिये सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :-

1. श्री पन्नालाल पिता छगनलाल कलाल निवासी लिमथान पं.स. बांसवाडा जिला बांसवाडा
2. श्री भरत कुमार केसरीमल शाह, घाटोल, जिला बांसवाडा हाल मुकाम हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, रिलेक्स इन हॉटल के पास उदयपुर रोड, बांसवाडा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री रवि पुरी – अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 18–10–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री दलसिंह गरासिया सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बांसवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06–12–2022 को उर्वरक नियंत्रण (आदेश) 1985 की पालना में उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल निवासी लिमथान पंचायत समिति बांसवाडा के निरीक्षण के दौरान फर्म के पास उर्वरक विक्रय का अनुज्ञा पत्र अवधि पार पाया गया। बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र के उर्वरक विक्रय करना उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। उर्वरक विक्रय वैद्य अनुज्ञा पत्र नही होने के कारण उर्वरक डीएपी (IPL) – 115 बैग, नीम कोटेड युरिया (CFCL) – 178 बैग, प्रोम (RCF) – 45 बैग को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 28(1)(D) के तहत जप्त किया गया। फर्म मालिक को मौके पर जप्ति का नोटिस देकर मौका पर्चा तैयार किया गया। जप्त किये गये उर्वरको को स्थानीय लेम्पस लिमथान के गौदाम में रखवाकर, उनकी कस्टडी लेम्पस के सहायक व्यवस्थापक को दी गई। जप्त किये गये उर्वरको को उर्वरक नियन्त्रण आ[illegible] 198[illegible] के तहत बैच वाईज नमूने कोड सं. DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 आहरित किये गये। प्रत्येक नमूना हेतु P एवं J तैयार किये गये। प्रत्येक बैच के तीन [illegible] सील्ड नमूने तैयार किये [illegible] मे से एक एक नमूना मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल लिमथान को सुपूर्द कर प्रपत्र J पर रसीद प्राप्त की एवं प्रत्येक बैच के शेष दो नमूने अग्रीम कार्यवाही हेतु अपने पास रखे। जिसमें से एक एक नमूना जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला उदयपुर को एवं एक एक शिल्ड नमूना विधिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियो को प्रेषित करने रखा गया। उक्त सील्ड नमूनो मे से एक एक सील्ड नमूना कार्यालय के पत्रांक 1885 दिनांक 09.12.2022 से उपनिदेशक कृषि (गुण नियन्त्रण) राज्य उर्वरक प्रयोगशाला उदयपुर के विश्लेषण हेतु भेजे गए। प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार उक्त तीनो कोड DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 अमानक घाषित किये गये। उक्त जब्तशुदा उर्वरको को राजसात करने निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को दिनांक 08–08–2023 को समन जारी किये गये। दिनांक 31–08–2023 को अप्रार्थीगणो की ओर से श्री भगवत पुरी, श्री दिनेश पुरी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 15–09–2023 को अप्रार्थीगणो की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी दिनांक 06–12–2022 को रेस्पोडेंट सं.1 श्री पन्नालाल की फर्म मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल निवासी लीमथान पंचायत समिति बांसवाडा पर निरीक्षण करने आये थे। प्रार्थी द्वारा तलाशी देना अस्वीकार है। रेस्पोडेंट सं. 1 श्री पन्नालाल के पास उर्वरक विक्रय का अनुज्ञा पत्र अवधिपार पाया गया था परन्तु रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने से करीब छः माह पूर्व ही नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09–09–2021 को प्रार्थी को प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 का अनुज्ञा पत्र लम्बी अवधि गुजरने के बाद भी नवीनीकृत नही किया तथा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र भी अस्वीकृत नही किया। तत्पश्चात् रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा दिनांक 13–06–2023 को पुनः ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा उस आवेदन पर भी कोई सुनवाई नही की गई है। प्रार्थी द्वारा जानबुझ कर रेस्पोडेंट सं. 1 को क्षति पहुचाने की दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य की पूर्ति में रेस्पोडेंट सं. 1 के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के बजाय प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 के फर्म पर निरीक्षण किया गया तथा कोई अनियमितता नही पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा गलती छुपाने के लिए रेस्पोडेंट के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 11 की उक्त धारा 4 मे स्पष्ट प्रावधित है कि यदि अनुज्ञा धारक द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदन कर दिया जाता है तो जब तक नवीनीकरण आवेदन का निस्तारण नही हो [illegible] तब तक की अवधि के लिए अनुज्ञा पत्र को डिम्ड रुप से वैध माना जायेगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, [illegible] द्वेषभावना से प्रेरित होने के कारण अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेंट सं. 1 को जब्त शुदा उर्वरक सुपूर्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12–07–2024 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस एवं दिनांक 18.10.2024 को पुनः बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि

जिला कलक्टर

मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल निवासी लिमथान पंचायत समिति बांसवाडा के निरीक्षण के दौरान फर्म के पास उर्वरक विक्रय का अनुज्ञा पत्र अवधि पार पाया गया। बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र के उर्वरक विक्रय करना उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। उर्वरक विक्रय वैद्य अनुज्ञा पत्र नही होने के कारण उर्वरक डीएपी (IPL) – 115 बैग, नीम कोटेड युरिया (CFCL) – 178 बैग, प्रोम (RCF) – 45 बैग को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 28(1)(D) के तहत जप्त किया गया। फर्म मालिक को मौके पर जप्ति का नोटिस देकर मौका पर्चा तैयार किया गया। जप्त किये गये उर्वरको को स्थानीय लेम्पस लिमथान के गौदाम में रखवाकर उनकी कस्टडी लेम्पस के सहायक व्यवस्थापक को दी गई। जब्त किये गये उर्वरको को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत बैच वाईज नमूने कोड सं. DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 आहरित किये गये। प्रत्येक नमूना हेतु P एवं J तैयार किये गये। प्रत्येक बैच के तीन तीन सील्ड नमूने तैयार किये गये, जिसमे से एक एक नमूना मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल लिमथान को सुपूर्द कर प्रपत्र J पर रसीद प्राप्त की एवं प्रत्येक बैच के शेष दो नमूने अग्रीम कार्यवाही हेतु अपने पास रखे। जिसमें से एक एक नमूना जांच हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला उदयपुर को एवं एक एक शिल्ड नमूना विधिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियो को प्रेषित करने रखा गया। उक्त सील्ड नमूनो मे से एक एक सील्ड नमूना कार्यालय के पत्रांक 1885 दिनांक 09.12.2022 से उपनिदेशक कृषि (गुण नियन्त्रण) राज्य उर्वरक प्रयोगशाला उदयपुर के विश्लेषण हेतु भेजे गए। प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार उक्त तीनो कोड DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 अमानक घोषित किये गये। उक्त जप्तशुदा उर्वरको को राजसात करने निवेदन है।

अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी दिनांक 06–12–2022 को रेस्पोडेंट सं.1 श्री पन्नालाल की फर्म मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल निवासी लीमथान पंचायत समिति बांसवाडा पर निरीक्षण करने आये थे। प्रार्थी द्वारा तलाशी देना अस्वीकार है। रेस्पोडेंट सं. 1 श्री पन्नालाल के पास उर्वरक विक्रय का अनुज्ञा पत्र अवधिपार पाया गया था परन्तु रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने से करीब छः माह पूर्व ही नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09–09–2021 को प्रार्थी को प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 का अनुज्ञा पत्र लम्बी अवधि गुजरने के बावजूद भी नवीनीकृत नही किया तथा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र भी अस्वीकृत नही किया। तत्पश्चात् रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा दिनांक 13–06–2023 को पुनः ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा उस आवेदन पर भी कोई सुनवाई नही की गई है। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 11 की उक्त धारा 4 मे स्पष्ट प्रावधित है कि यदि अनुज्ञा धारक द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदन कर दिया जाता है तो जब तक नवीनीकरण आवेदन का निस्तारण नही हो जाता है तब तक की अवधि के लिए अनुज्ञा पत्र को डिम्ड रुप से वैध माना जायेगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बांसवाडा द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 की फर्म से दिनांक 07–12–2022 को उपरोक्त उर्वरको के बैग को खोल कर जांच हेतु नमूना लिया गया था जिसे जांच हेतु उपनिदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) राज्य उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 12.12.2022 को भिजवाये गये जिसका परीक्षण दिनांक 20–12–2022 को किया गया। इस प्रकार नमूना जॉच संग्रहण से परिक्षण की अवधि 13 दिवस की रही है। बैग खुलने के पश्चात् पर्यावरण के सम्पर्क में आने पर उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा स्वतः ही अधिक हो जाती है। इस प्रकार विभागीय स्तर पर 13 दिवस की अवधि के पश्चात् जांच किये जाने से उक्त उवर्रक अमानक हुए है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व दुर्भावना से प्रेरित होने के कारण अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेंट सं. 1 को जब्त शुदा उर्वरक सुपूर्द किया जावे। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने फर्द दस्तावेज के साथ अनुज्ञा पत्र ऑन लाईन नविनीकरण प्रार्थना पत्र व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2019 की प्रति पेश की।

विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण में विभाग की ओर से देरी हुई है जो स्वीकार है किन्तु जांच हेतु नमूना प्राप्त करने से जांच हेतु भिजवाये जाने एवं उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला में परीक्षण होने तक एक विभागीय प्रक्रिया है जिसमें न्यूतम इतना समय लगना स्वाभाविक है। इस प्रकरण में जांच हेतु नमूना प्राप्त करने से लेकर परिक्षण के पश्चात् उक्त नमूना अमानक घोषित होने का समय 13 दिवस रहा है। इस अवधि में उवर्रक में किसी भी प्रकार के रसायन की मात्रा में बढोतरी अथवा कमी नही आती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अमानक घोषित उक्त उवर्रको को राजसात करने निवेदन किया।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। विभागीय पैरोकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी सं. 1 के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण में विभागीय स्तर पर विलम्ब हुआ है। विभाग अनुज्ञा पत्र में विलम्ब हेतु जिम्मेदार अधिकारी/ कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कर इस न्यायालय को अवगत करावे। अप्रार्थी का यह कथन कि नमूना जांच संग्रहण से परिक्षण की अवधि 13 दिवस रही है। इस कारण फासफोरस की मात्रा में वृद्धि हुई। इसके सन्दर्भ में यह कि जप्त किये गये उर्वरको को उवर्रक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत बैच वाईज नमूने कोड सं. DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 आहरित किये गये है। जिनको नियमानुसार सील्ड किया जाकर, सयुक्त निदेशक (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 9099–9100 दिनांक 19.12.2022 से आहरित उर्वरको को

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:31:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

ऑफलाईन विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, उदयपुर भिजवाने स्वीकृति प्राप्त होने पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के पत्रांक 1160 दिनांक 08.12.2022 से ऑफ लाईन विश्लेषण हेतु सील्ड नमूनो को प्रपत्र–K के साथ भेजा गया। उपनिदेशक कृषि (गुण नियन्त्रण) राज्य उर्वरक प्रयोगशाला उदयपुर के विश्लेषण हेतु भेजे जाने के पश्चात् प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार उक्त क्रमशः तीनो कोड DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 क्रमशः रिपोर्ट क्रमांक 2694–96 दिनांक 20.12.2022, 2680–82 दिनांक 20.12.2022, 2683–85 दिनांक 20.12.2022 से अमानक घोषित किये गये। जांच हेतु नमूना प्राप्त करने से जांच हेतु भिजवाये जाने एवं उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला में परीक्षण होने तक एक विभागीय प्रक्रिया है जिसका अनुसरण सम्बन्धित विभाग द्वारा किया गया है। चुंकि उक्त उर्वरको के नमूने बंद बेग को खोलकर लिये गये है तथा विभाग द्वारा नियमानुसार सील्ड कर नमूने कोड सं. DSG/OF/2022-23/1, DSG/OF/2022-23/2, DSG/OF/2022-23/3 से उक्त नमूने उर्वरक उपनिदेशक कृषि (गुण नियन्त्रण) राज्य उर्वरक प्रयोगशाला उदयपुर को विश्लेषण हेतु भेजे गए थे जो अमानक घोषित हुए है। उपरोक्त अमानक उर्वरक जो कि मैसर्स पन्नालाल छगनलाल कलाल निवासी लिमथान पंचायत समिति बांसवाडा के निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु पाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा अमानक घोषित किये निम्नानुसार उर्वरक –

क्र.स	उर्वरक	बैच नं.	मात्रा (बैग)	मात्रा प्रति बैग	कुल मात्र (क्वि.)	निर्माता
1	DAP	(01)-J/22	115	50 kg	57.50	IPL
2	NEAM COATED UREA	NOV-2022	178	45 kg	80.10	CFCL
3	PROM	NOV-2022-03	45	50 kg	22.50	RCF

को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। विभाग इन जप्त शुदा उर्वरको का नियमानुसार उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 23 अनुसार निस्तारण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बांसवाड़ा को भेजी जावे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 18–10–2024 को राजस्व न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)